380

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संकल्प

विषय :— बिहार राज्य खाद्य आयोग के गठन के सम्बन्ध में ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। सभी चिन्हित पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय परिवार को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । सभी चिन्हित लाभुकों को ससमय एवं निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे है तथा वैसे लाभूक जो निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रहते है वे उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन एवं अपील भी कर सकते है । प्रत्येक जिला में चिन्हित लाभुकों के शिकायतों के निवारण हेतु जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जा रही है । जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व चिन्हित लाभुकों द्वारा राज्य खाद्य आयोग से अपील भी की जा सकती है । अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम –2013 की धारा–16 एवं बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2014 के आलोक में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने और इसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन का निर्णय लिया गया है ।

2. बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

i. अध्यक्ष — 01 (एक)

ii. अन्य सदस्य — 05 (पांच)

iii. सदस्य सचिव — 01 (एक), जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी होगा ।

परन्तु उसमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों

परन्तु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों

परन्तु यह और भी कि उसमें कम से कम एक व्यक्ति पिछड़ी जाति एवं एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों।

3. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच से किया जायेगा :—

i. जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य है या रह चुके है या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी सम्बद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है,

ii. जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति है, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है ; या

iii. जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकार्ड है ।

iv. अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव में कम से कम पांच व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हो ।

4. <u>अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल</u>

i. अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

परन्तु कोई भी व्यक्ति या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

ii. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे ।

5. <u>आयोग के कार्य एवं दायित्व</u>

i. राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना और उसका मूल्यांकन करना ;

ii. अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना ;

iii. इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना ;

iv. व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना ;

v. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना ;

vi. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

6. <u>राज्य सरकार, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी :-</u>

(क) जो दिवालिया है या किसी दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है ।

ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उक्त कंडिका– 6 (घ) या (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जबतक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

7. शक्तियाँ

i. राज्य आयोग को, उक्त क्रमांक 5 (ii) और (v) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

ii. राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है ।

8. कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,–

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

9. आयोग के सचिव पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी । अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को अनुमान्य सुविधाएं तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाशर्त्त सरकार द्वारा अलग से विहित की जाएगी ।

राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्य अन्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनीत करेगी ।

10. वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

i. राज्य सरकार अनुदान के रूप में आयोग को उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी ।

ii. आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा जिसपर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

11. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 16.01.2014 को मद संख्या 27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका सं0–प्र06/विविध–22/2013 खंड का पृष्ट 35/टि0 ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प को 'बिहार गजट' के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–22/2013 खंड 388 खाद्य–पटना/दिनांक–21/01/2

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–22/2013 खंड 388 खाद्य–पटना/दिनांक–21/01/20

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–22/2013 खंड 388 खाद्य–पटना/दिनांक–21/01/2

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–22/2013 खंड 388 खाद्य–पटना/दिनांक–21/01/2

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।